न्यायालय समाहर्त्ता, पूर्णिया

आदेश की सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख
14.01.2020	उत्पाद वाद संख्या-215/2019	

उत्पाद वाद संख्या-215/2019

राज्य

बनाम

1. वरूणा इन्टिग्रेटेड लॉग, ए0एम0 रोड, थाना-मोकोचुंग, नागालैण्ड, पिन नं0-798609 (जप्त TRUCK NO.-NL02N-3840 के स्वामी)

.... विपक्षी

आदेश

अभिलेख उपस्थापित। यह वाद **बायसी थाना कांड सं0-79/2019 दिनांक 03.04.2019** के आलोक में प्रारम्भ की गई है। **पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया के पत्रांक 2556/हि0शा0 दिनांक-11.07.2019** द्वारा प्राप्त प्रस्ताव एवं संलग्न कागजातों में वर्णित है कि **उक्त वाहन की जांच दिनांक 03.04.2019 को बायसी प्रमुख चौक एन0एच0-31 उत्तरी लेन के पास की गई**। जांच के क्रम में **जप्त वाहन से 40 ड्रक स्प्रीट (कुल 8000 लीटर)** पाया गया। तत्पश्चात् जप्ती सूची तैयार कर प्राथमिकी दर्ज कराई गई। पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया द्वारा बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत् जप्त वाहन को राजसात करने की अनुशंसा की गई है।

इस वाद में विपक्षी को निबंधित डाक से नोटिस भेजा गया, जो बिना तामिला के वापस प्राप्त हो गया। फलतः विपक्षी वाहन मालिक को न्यायालय में उपस्थित कराने हेतु दिनांक 05.01.2020 को दो समाचार पत्र यथा दैनिक भाष्कर एवं प्रभात खबर में सूचना प्रकाशित की गई, परन्तु विपक्षी वाहन मालिक निर्धारित तिथि 14.01.2020 को उपस्थित नहीं हुए।

पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया से प्राप्त प्रस्ताव तथा अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है, कि **जप्त वाहन से 40 ड्रक स्प्रीट (कुल 8000 लीटर)** बरामद किया गया है। इस प्रकार जप्त वाहन से अवैध स्प्रीट (शराब का अवयव) का परिवहन किया जा रहा था। विपक्षी वाहन मालिक का

पक्ष प्राप्त करने हेतु न्यायालय द्वारा आवश्यक कार्रवाई की गई, परन्तु विपक्षी उपस्थित नहीं हुए। संपूर्ण बिहार राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागु होने के बाबजूद जप्त वाहन से स्प्रीट पाया जाना दण्डनीय अपराध है। ऐसी स्थिति में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत् उक्त वाहन को राजसात किया जाना विधिसम्मत् प्रतीत होता है।

अतः मैं राहुल कुमार, भा0प्र0से0, जिला दण्डाधिकारी -सह- समाहर्त्ता, पूर्णिया इस वाद अंतर्गत **जप्त वाहन TRUCK NO.-NL02N-3840** को बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की कंडिका 58(2) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजसात का आदेश देता हूँ। अधीक्षक उत्पाद, पूर्णिया को निदेश दिया जाता है कि उत्पाद अधिनियम एवं तत्संबंधी संगत प्रावधानों के अनुरूप अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति अनुपालन हेतु उत्पाद अधीक्षक, पूर्णिया को भेजें तथा पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया को भी प्रेषित करें।

इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

समाहर्त्ता,
पूर्णिया।

समाहर्त्ता,
पूर्णिया।